अध्याय–II

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-II
अनुपालन लेखापरीक्षा

पँचायती राज विभाग

2.1 राजस्व की हानि

जिला परिषद्, बेगूसराय द्वारा नवनिर्मित वाणिज्यिक भवनों, दुकानों, मैरिज हॉल और गोदामों को स्वयं के स्रोतों से आय अर्जित करने के लिए पट्टे पर देने में विफलता के कारण ₹ 2.40 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद् (बजट और लेखा) नियम, 1964 के नियम 106 में एक अलग रजिस्टर के संधारण को निर्धारित किया गया है जिसमें उन सभी स्रोतों का विवरण दिखाया जाएगा जिनसे जिला परिषद् (जि0प0) का आवधिक राजस्व प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा, जिला परिषद् की सभी परिसंपत्तियों का, जिन्हें अगले वर्ष में पट्टे पर दिया जाना है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन माह पहले सर्वेक्षण किया जाना है और ऐसी परिसंपत्तियों की निश्चित मांग को मांग पंजी में दर्ज किया जाना है।

जिला परिषद्, बेगूसराय के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2021) से पता चला कि जिला परिषद् बोर्ड ने अपनी बैठक (अगस्त 2016) में जिला परिषद् की भूमि पर वाणिज्यिक परिसरों, दुकानों, कार्यालय भवनों, गोदामों और आवासीय फ्लैटों का निर्माण करने का निर्णय लिया ताकि इन राजस्व उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को पट्टे पर देकर राजस्व के अपने स्रोतों को बढ़ाया जा सके। उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद् ने 27 योजनाओं[19] को विभागीय[20] रूप से निष्पादित किया और 27 परिसंपतियों में से 24 का निर्माण (अर्थात एक गोदाम और दो दुकानें सितम्बर 2021 तक प्रगति पर थीं) नवम्बर 2017 और अप्रैल 2019 के बीच पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुदान और स्वयं के स्रोत के तहत् उपलब्ध निधियों से ₹10.08 करोड़ रुपये के व्यय करके किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हाँलाकि उपरोक्त राजस्व उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण नवंबर 2017 से अप्रैल 2019 की अवधि के दौरान पूरा हो गया था, जिला परिषद् ने इन परिसंपत्तियों (अक्टूबर 2021 तक) के आवंटन/पट्टे की प्रक्रिया शुरू नहीं की थी। इसके अलावा, इन परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने, राजस्व की मांग और संग्रह पर नजर रखने के लिए मांग पंजी संधारित नहीं किया गया था। नतीजतन, इन नवनिर्मित परिसंपत्तियों को उनके निर्माण पूरा होने से 29 से 46 महीनों (सितंबर 2021 तक) के लिए उत्पादक उपयोग में नहीं लाया गया था और जिस उद्देश्य के लिए उनका निर्माण किया गया था, वह उनके निर्माण पर ₹ 10.08 करोड़ खर्च करने के बाद भी अधूरा रहा। इसके अलावा, जिला परिषद् ₹ 2.40 करोड़[21] के राजस्व से वंचित रहा ***(परिशिष्ट 2.1)*** जो इन 24 परिसंपत्तियों से किराये की आय के रूप में अर्जित होता।

---

[19] *गोदाम 6, दुकानें 14, मीटिंग हॉल 4, वाणिज्यिक परिसर 2 और हॉल 1*

[20] *विभागीय रूप से किए जाने वाले कार्य का अर्थ है कि कार्य का कार्यान्वयन अपने एक कर्मचारी को कार्यकारी अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करके विभाग/इकाई द्वारा स्वयं किया जायेगा। संवेदक के लाभ को ऐसे मामलों में काम के प्राक्कलन से बाहर रखा जाना है।*

[21] *जिला परिषद् ने सभी नवनिर्मित परिसंपत्तियों के लिए ₹10 प्रति वर्ग फुट का किराया निर्धारित किया। राजस्व के नुकसान का आकलन इसी आधार पर लेखापरीक्षा में किया गया है।*

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान आकृष्ट किये जाने पर जिला परिषद् के जिला अभियंता (जि0अ0) ने जवाब दिया (अक्टूबर 2021) कि कोविड–19, विधानसभा चुनाव–2020 और पंचायत चुनाव–2021 के कारण परिसंपत्तियों के आवंटन/पट्टे के लिए बोलियां आमंत्रित नहीं की जा सकीं। जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने यह भी कहा कि कोविड–19 महामारी के कारण आवंटन की प्रक्रिया नहीं की जा सकी। उन्होंने आगे कहा (28 अक्टूबर 2022) कि इन संपत्तियों के आवंटन के लिए सार्वजनिक सूचना 6 सितंबर 2022 को जारी किया गया था और आवंटन की प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। मांग पंजी का संधारण न करने के मुद्दे के संबंध में जिला अभियंता ने जवाब दिया कि भविष्य में मांग पंजी संधारित किया जाएगा।

पदाधिकारियों द्वारा दिये गये कारण स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि (i) इन राजस्व उत्पन्न करने वाली संपत्तियों का निर्माण नवंबर 2017 से अप्रैल 2019 के दौरान पूरा हो गया था जबकि कोविड–19 महामारी के कारण प्रतिबंध मार्च 2020 से लगाए गए थे (ii) राज्य में विधानसभा चुनाव अक्टूबर–नवंबर 2020 में आयोजित किए गए थे और पंचायत चुनाव सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 के बीच आयोजित किए गए थे। इस प्रकार, जिला परिषद् के पास कोविड–19 के प्रसार और राज्य में विधानसभा और पंचायत चुनावों से पहले राजस्व उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों के आवंटन/निपटान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय था। ये संपत्तियां 26 अक्टूबर 2022 तक अनुप्रयुक्त पड़ी थीं क्योंकि इन परिसंपत्तियों के आवंटन/पट्टे पर देने की प्रक्रिया चल रही थी।

इस प्रकार, जिला परिषद् प्राधिकारी नवनिर्मित राजस्व सृजक परिसंपत्तियों को उत्पादक उपयोग में लाने में विफल रहे, उन्हें पट्टे नहीं दिये जाने से जिला परिषद् को ₹ 2.40 करोड़[22] राजस्व की हानि हुई।

इस मामले की सूचना सरकार (दिसंबर 2021) को दी गई थी और कंडिका के अनुपालन और अद्यतन स्थिति के लिए स्मार पत्र (फरवरी 2022 और अक्टूबर 2022) भी भेजा गया था, उत्तर प्रतीक्षित है।

2.2 सरकारी धन का दुर्विनियोजन

ग्राम पंचायत, पटना द्वारा सड़क के निर्माण के संबंध में अग्रिम समायोजन एवं अनुदान संबंधी कोडल प्रावधानों का पालन न किए जाने के कारण सरकारी धन ₹ 7.33 लाख का दुर्विनियोजन हुआ।

बिहार ग्राम पंचायत लेखा नियमावली, 1949 के नियम 14 में यह निर्धारित किया गया है किः (i) पंचायत या कार्यकारी समिति के सदस्य द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के मामले में पंचायत निधि से अग्रिम राशि स्वीकृत की जा सकती है (ii) अग्रिम धारक को अग्रिम भुगतान की तिथि से तीन माह के भीतर समायोजन को प्रस्तुत करना होगा और (iii) दूसरा अग्रिम तब तक प्रदान नहीं किया जाना है जब तक कि पहले अग्रिम के समायोजन प्रस्तुत नहीं कर दिये गये हों। इसके अलावा, ग्राम पंचायत लेखा नियम, 1949 के नियम 15 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत (ग्रा0पं0) के मुखिया को त्रैमासिक रूप से अग्रिमों की स्थिति की समीक्षा करनी है और यह सुनिश्चित करना है कि अग्रिम लंबी अवधि के लिए लंबित नहीं हैं। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 के नियम 90 में प्रावधान है कि अव्ययित अग्रिम की राशि तत्काल वापस

[22] *राजस्व हानि का निर्धारण प्रति वर्ग फुट किराया ₹ 10 करके किया गया था। इस दर को जिला परिषद् बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।*

की जानी है। बिहार पंचायत (अधिकारियों का निरीक्षण और मामलों की जाँच, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन) नियम, 2014 यह उपबंध करता है कि (i) मुखिया, ग्राम पंचायत के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन के लिए जिम्मेदार है (ii) प्रखंड और जिले स्तर के पदाधिकारी[23] निर्धारित अंतराल पर ग्राम पंचायत पर पंचायत कार्यालयों के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं और (iii) ग्राम पंचायत के खातों में पाई गई अनियमितताओं[24] के मामलों की सूचना उच्च अधिकारियों और पंचायती राज विभाग को दी जानी है।

पंचायत समिति, कल्याणपुर (पूर्वी चंपारण) के तहत् ग्राम पंचायत, पटना के अभिलेखों की जाँच (जुलाई और अगस्त 2021) से पता चला कि ग्राम सभा ने ₹10 लाख की प्राक्कलित लागत पर पी.सी.सी. सड़क के निर्माण से संबंधित कार्य[25] को मंजूरी दी थी (अक्टूबर 2017)। पंचम राज्य वित्त आयोग निधि के तहत् ग्राम पंचायत ने ग्राम पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव को इस कार्य के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया था और छः माह के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश के साथ कार्य आदेश जारी (मई 2018) किया था। कार्य के निष्पादन के लिए एजेंसी को ₹ 7,32,500 का अग्रिम भुगतान 18 दिनों की अवधि के भीतर चार किस्तों में किया गया था, जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: कार्यकारी एजेंसी को भुगतान किए गए अग्रिम

क्रम. सं.	अग्रिम भुगतान की तारीख	भुगतान की गई अग्रिम राशि (₹ में)
1.	15.05.2018	7,500
2.	28.05.2018	3,25,000
3.	01.06.2018	3,30,000
4.	02.06.2018	70,000
कुल		**7,32,500**

***(स्रोतः** ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त अभिलेख)*

लेखापरीक्षा द्वारा सड़क के निर्माण से संबंधित अभिलेख मांगे जाने (जुलाई 2021) के बावजूद कार्य पर किए गए व्यय की पुष्टि के लिए एजेंसी ने लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख[26] उपलब्ध नहीं कराया। वर्त्तमान पंचायत सचिव ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (जुलाई 2021) कि तत्कालीन पंचायत सचिव का तबादला (अगस्त 2018) दूसरे प्रखंड में कर दिया गया था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात, ग्राम पंचायत के वर्त्तमान पंचायत सचिव की उपस्थिति में लेखापरीक्षा ने कार्य स्थल का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया (अगस्त 2021) और यह पाया कि कार्य बिल्कुल भी प्रारम्भ नहीं किया गया था। वर्त्तमान पंचायत सचिव ने कहा कि कार्यभार ग्रहण करते समय यह मामला उनकी जानकारी में नहीं था और जब लेखापरीक्षा ने कार्य स्थल का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया तब यह मामला उनके संज्ञान में आया था। पंचायत सचिव ने आगे कहा

---

[23] *प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (बी.पी.आर.ओ.), प्रखंड विकास पदाधिकारी (बी.डी.ओ.), अनुमंडल पदाधिकारी (एस.डी.ओ.)/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी (डी.पी.आर.ओ.)/मंडल उप निदेशक (पंचायत), उप विकास आयुक्त (डी.डी.सी.), जिला मजिस्ट्रेट (डी.एम.) और प्रमंडलीय आयुक्त।*

[24] *बी.डी.ओ. द्वारा हर माह कम से कम एक ग्राम पंचायत, बी.पी.आर.ओ. द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम दो ग्राम पंचायत, एस.डी.ओ. और डी.पी.आर.ओ. द्वारा तीन माह में कम से कम दो ग्राम पंचायत, डिवीजनल डिप्टी डायरेक्टर (पंचायत) और डी.डी.सी. द्वारा हर छः माह में कम से कम दो ग्राम पंचायत, डी.एम. द्वारा एक वर्ष में कम से कम दो ग्राम पंचायत और, सुविधानुसार, प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा।*

[25] *वार्ड क्रमांक 14 के गवांदरी गांव में बिटुमिनस सड़क से होकर गुजरने वाली सड़क से श्री सतलाल प्रसाद के घर तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण।*

[26] *मापी पुस्तिका, मस्टर रॉल आदि।*

(अगस्त 2021) कि भूमि विवाद के कारण स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका, लेकिन यह नहीं बताया कि मामला ग्राम सभा के समक्ष क्यों नहीं लाया गया।

मुखिया और ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम पंचायत निधि से अग्रिम आहरित किया गया था और मुखिया की अनुशंसा पर कार्यदायी संस्था को चार किस्तों में भुगतान किया गया था। इसके अलावा, मुखिया ने योजना संचिका में दर्ज किया था (जून 2018) कि (i) उन्होंने कार्यस्थल का निरीक्षण किया था (ii) कार्य प्रगति पर था और संतोषजनक ढंग से निष्पादित किया जा रहा था और (iii) इसलिए, राशि जारी की जा रही थी। यह कथन बाद में गलत साबित हुआ, जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ज्ञात हुआ, जिसमें चार किस्तों में ग्राम पंचायत निधि की निकासी के संबंध में मुखिया और कार्यकारी एजेंसी के बीच सांठगांठ का स्पष्ट संकेत मिलता है।

इस प्रकार, ₹ 7.33 लाख की सरकारी निधि ग्राम पंचायत निधि से बाहर रही और कार्यदायी एजेंसी द्वारा प्रतिधारित थी (जुलाई 2021 तक)। आगे, प्रखंड के बी.पी.आर.ओ. और बी.डी.ओ. के साथ–साथ जिला स्तर के पदाधिकारियों ने कार्यों के निष्पादन की प्रगति की निगरानी के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया। वर्त्तमान पंचायत सचिव ने बताया (जुलाई 2021) कि मामले की जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। दिसंबर 2021 को स्मार पत्र जारी होने के बावजूद पंचायत समिति के बी.डी.ओ. का जवाब प्रतीक्षित है।

कार्यकारी एजेंसी द्वारा ₹7.33 लाख की सरकारी धनराशि को तीन वर्ष से अधिक समय तक रखे रहना गबन की ओर इंगित करता है। आगे, उसी उद्देश्य के लिए दूसरे और बाद के अग्रिमों का भुगतान, पिछले अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित किए बिना किया जाना बिहार पंचायत समिति और जिला पंचायत (बजट और लेखा) नियमों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, कार्य का उद्देश्य अर्थात् ग्रामीण सड़क संपर्क का प्रावधान अधूरा रह गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2021) तथा 13 अक्टूबर 2022 को स्मार पत्र भी जारी किया गया, उत्तर प्रतीक्षित है।

2.3 दुकानों/हॉल के अनियमित आवंटन के माध्यम से किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ

जिला परिषद्, सारण ने एक निविदादाता को उसकी भूमि पर निर्मित दुकानों/हॉल का आवंटन करके, निविदादाता द्वारा आवंटन की शर्तों का पालन न करने के बावजूद अनुचित लाभ पहुंचाया, आवंटन के बाद निविदादाता ने निविदा राशि में से ₹ 96 लाख जमा नहीं किया।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 80 (1) में प्रावधान है कि जिला परिषद् (जि0प0) के पास संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान करने और अपनी संपत्ति के संबंध में अनुबंध करने की शक्ति होगी। आगे, बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 के नियम 132(5) में प्रावधान है कि कोई भी कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया जायेगा जब तक कि वर्ष के दौरान उस विशेष कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो।

जिला परिषद्, सारण के अभिलेखों की जाँच (दिसंबर 2020 एवं समय–समय पर अद्यतन) से पता चला कि जिला परिषद् के जिला अभियंता ने हरिजन छात्रावास के समीप अपने स्वामित्व वाली खाली भूमि पर प्रस्तावित दुकान/हॉल के आवंटन हेतु एक विज्ञापन प्रकाशित (फरवरी 2016) किया था। चार मंजिला भवन (भू–तल सहित) में निर्मित होने वाली दुकानों/हॉल की अनुमानित लागत ₹1.49 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, आवंटी को

₹ 20.79 लाख के विकास शुल्क का भुगतान करना था। जिला परिषद् के स्वीकृत नक्शे के अनुसार प्रस्तावित दुकानों/हॉल का निर्माण स्ववित्तपोषित योजना के माध्यम से विभागीय रूप से किया जाना था तथा सफल निविदादाता को निविदा राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, सारण को आवंटन के संबंध में नोटिस जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर भेजना था, ऐसा न करने पर उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। आगे, निविदा राशि का बैंक ड्राफ्ट एकमुश्त जमा करने के बाद ही आवंटन पत्र जारी किया जाना था। आवंटन पत्र प्राप्त करने के बाद आवंटी को नवीनीकरण के विकल्प के साथ 15 वर्ष के लिए जिला परिषद् के साथ एक एकरारनामा करना था।

जिस निविदादाता ने ₹1.74 करोड़ (विकास शुल्क सहित) की उच्चतम दर उद्धृत की, उसे सभी निविदादाताओं द्वारा उद्धृत दरों के आधार पर सभी चार मंजिलों के लिए सफल निविदादाता घोषित किया गया। जिला अभियंता, जिला परिषद् ने सफल निविदादाता को निर्देश दिया (फरवरी 2017) कि वह निविदा राशि घटाकर सुरक्षा जमा राशि ₹ 4.00 लाख (जो 24 फरवरी 2016 को जमा की गई थी) जमा करें ताकि एकरारनामा को निष्पादित किया जा सके। तथापि, आवंटी ने ₹ 1.74 करोड़ की निविदा राशि के विरुद्ध केवल ₹ 5.00 लाख ही जमा किए (5 जुलाई 2016), अवशेष ₹1.65 करोड़ (जुलाई 2021 तक भी) जमा नहीं हुए। यद्यपि, आवंटी ने पूर्ण निविदा राशि जमा नही की थी फिर भी जिला परिषद् के जिला अभियंता (जि0अ0) ने कोई कारण बताए बिना 02 जनवरी 2017 को प्रभावी तिथि से उनके साथ 30 वर्ष (15 वर्ष की अवधि के विरुद्ध, नियम एवं शर्तों में निर्धारित) के लिए एकरारनामा किया (18 मार्च 2017)।

आगे, संवीक्षा से पता चला कि दुकान/हॉल का निर्माण जिला परिषद् के कनीय अभियंता (जे.ई.) के माध्यम से विभागीय रूप से पूर्ण (04 अप्रैल 2018) किया गया था। लेखापरीक्षा में पृच्छा करने पर कि निविदादाता से अपेक्षित राशि प्राप्त नहीं होने के बावजूद निर्माण पूरा किये जाने पर जिला परिषद् के जिला अभियंता ने उत्तर दिया (23 जुलाई 2021) कि निर्माण सामग्री स्थानीय बाजार से उधार पर खरीदी गई थी, हालांकि, जिला परिषद् के जे.ई. द्वारा जैसा कि बताया गया क्रेडिट पर निर्माण सामग्री का क्रय लेखापरीक्षा में स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि योजना फाइल में कोई उधार अभिश्रव संलग्न नहीं पाया गया था। मापी पुस्तिका के अनुसार कुल ₹1.15 करोड़ की लागत से दुकान/हॉल का निर्माण किया गया था जिसके विरूद्ध जे.ई. को जिला परिषद् निधि से मात्र ₹ 6 लाख राशि का अग्रिम भुगतान किया गया था।

आगे, निविदा की नियम और शर्तों के अनुसार सफल निविदादाता द्वारा पूर्ण निविदा राशि जमा करने में असफल होने की स्थिति में आवंटन को रद्द कर दिया जाना था, जमानत राशि को जब्त कर लिया जाना था और अगले सबसे अधिक निविदादाता को आवंटन किया जाना था। हाँलाकि, जिला परिषद्, सारण ने सफल निविदादाता द्वारा ₹ 1.65 करोड़ की निविदा राशि जमा नहीं करने के बावजूद आवंटन को रद्द नहीं किया, इसके बजाय आवंटी को हॉल/दुकान सौंप दी (1 जनवरी 2020)। आगे, दुकान/हॉल के आवंटन के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए आवंटी द्वारा दुकानों का उपयोग आवासीय होटल (होटल मयूर) के रूप में किया जा रहा था। इसके अलावा, 18 नवंबर 2022 तक आवंटी ने जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए कुल ₹ 8.54 लाख का किराया भुगतान किया था और जुलाई 2021 से अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए ₹7.59 लाख बकाया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर जिला परिषद् ने आवंटी से ₹ 69.00 लाख (₹ 47.00 लाख अगस्त 2021 में तथा ₹ 22.00 लाख फरवरी 2022 में) की वसूली की तथा ₹ 96.00 लाख अप्राप्त थे (18 नवम्बर 2022 तक)।

इस प्रकार, आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का बार–बार उल्लंघन करने के बावजूद जिला परिषद् ने आवंटी के विरूद्ध कार्रवाई करने में विफल रहकर उसे निर्मित दुकान/हॉल आवंटित करने में अनुचित लाभ दिया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2022) किया गया तथा 13 अक्टूबर 2022 को स्मार पत्र जारी किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है।

2.4 अनियमित/कपटपूर्ण भुगतान

दो पंचायत समिति एवं दो ग्राम पंचायत विभागीय रूप से वित्त आयोग अनुदान एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित कार्यों की वास्तविक भौतिक स्थिति का आकलन कार्यकारी अभिकर्त्ताओं को भुगतान करने से पूर्व करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.03 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की धारा 244 में प्रावधान है कि मापी पुस्त (एम.बी.) को सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि यह मात्रा के सभी लेखाओं का आधार है, चाहे वह दैनिक श्रम द्वारा किया गया कार्य हो या अनुबंध द्वारा या प्राप्त सामग्री जिसे गिना या मापा जाना है। सक्षम प्राधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी के पद से नीचे नहीं) को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वास्तव में भुगतान किए गए कार्य की मात्रा से कम कार्य नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं (पं0रा0सं0) ने राज्य वित्त आयोग (रा0वि0आ0), केंद्रीय वित्त आयोग (के0वि0आ0) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) आदि के तहत् विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन अर्थात वृक्षारोपण, सड़कों और नालियों का निर्माण, बुनियादी सेवाएं प्रदान करना आदि के लिए अनुदान प्राप्त किया था।

अभिलेखों की जाँच (मार्च 2022 और अप्रैल 2022) अर्थात दो पंचायत समितियों[27] (पं.स.) और ग्राम पंचायतों[28] (ग्रा.पं.) की योजना संचिकाओं, मापीपुस्त, अभिश्रव आदि के साथ–साथ कार्यान्वित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी कार्यों के निष्पादन के बिना कार्यकारी एजेंटों को भुगतान किए जाने, किए गए भुगतानों की तुलना में किए गए कार्य की कम मात्रा, पहले से निष्पादित कार्यों आदि के लिए किए गए भुगतान के मामले सामने आए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- **कार्य किये बिना किया गया भुगतानः** पं0स0 अथमलगोला में मनरेगा के तहत् वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान वृक्षारोपण कार्य हेतु ₹ 1.17 लाख की अनुमानित लागत के 11 चापाकल लगाए जाने थे। योजना अभिलेखों की संवीक्षा से यह पाया गया कि हैण्डपम्पों की स्थापना को पूरा दिखाया गया था, ₹ 1.17 लाख की प्रविष्टियां मापी पुस्त में की गई थीं और कार्यकारी अभिकर्त्ता (पंचायत रोजगार सेवक) को भुगतान किया गया था। तथापि, उक्त कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि हैण्डपम्प स्थापित नहीं किये गये थे। मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी ने लेखापरीक्षा आपति को स्वीकार किया और कहा (मार्च 2022) कि भविष्य में हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे।

[27] *अथमलगोला और बाढ़ (जिला पटना)*

[28] *बहादुरपुर और भटगांव*

- **अग्रिम भुगतान के बावजूद कार्य नहीं किया गया:–** पं.स., बाढ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, भटगांव में तत्कालीन पंचायत सचिव (कार्यकारी अभिकर्ता) को मिट्टी भराई एवं नाली निर्माण के लिए योजना संख्या 4/2019–20 (14वीं वि.आ.) के तहत् ₹ 2 लाख का अग्रिम भुगतान (नवंबर 2020) किया गया था। तथापि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल 2022) के दौरान यह पाया गया कि अग्रिम दिये जाने के एक वर्ष और पाँच माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्य निष्पादित नहीं किया गया था और तद्नुसार, अग्रिम की राशि संबंधित पंचायत सचिव से वसूली योग्य थी। उपस्थित पंचायत सचिव ने जवाब दिया कि मामले की जाँच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।

- **पहले से निष्पादित कार्य के लिए कार्यकारी अभिकर्त्ता को धोखाधड़ी से भुगतान:**–पं.स., अथमलगोला के अंतर्गत ग्राम पंचायत, बहादुरपुर में योजना संख्या 1/2017–18[29] अनुमानित लागत ₹ 4.70 लाख, पंचम राज्य वित्त आयोग के तहत् कार्यान्वित किया गया था। पंचायत सचिव (कार्यकारी अभिकर्त्ता) को ₹ 4.08 लाख का भुगतान (सितम्बर 2017 से नवम्बर 2017) कर दिया गया था। इसके अलावा, पंचम रा.वि.आ. से संबंधित योजना पंजी और बैंक पास बुक की जाँच से पता चला निधि का उक्त कार्य फिर से योजना संख्या 1/2020–21 के रूप में शुरू किया गया था जिसकी अनुमानित लागत ₹7.70 लाख थी। पहले से निष्पादित कार्य के निष्पादन के लिए कार्यकारी एजेंसी को ₹4.88 लाख (अप्रैल से जून 2020) अग्रिम भुगतान किए गए थे। आगे, लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों मामलों में कार्यकारी एजेंट एक ही व्यक्ति (पंचायत सचिव) था। इस प्रकार, पहले से निष्पादित कार्य को फिर से शुरू किया गया था और कार्यकारी एजेंसी को ₹ 4.88 लाख का अनियमित अग्रिम भुगतान किया गया था। यह दर्शाता है कि यह ग्राम पंचायत निधि से धोखाधड़ी से निकासी का मामला था, जो कार्यकारी एजेंसी से वसूली योग्य था। उपस्थित पंचायत सचिव ने बताया कि मामले की जाँच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

- **कार्यों के लिए किए गए भुगतान की तुलना में निष्पादित कार्य की मात्रा कम :–**

➢ पं.स., अथमलगोला में पी.सी.सी. सड़क का निर्माण पंचम रा.वि.आ. (योजना संख्या 2/2018–19) के तहत् निष्पादित किया जाना था। कार्य निष्पादित होने के रूप में मापी पुस्त में 2359 घनफुट कार्य दर्ज किया गया था। उक्त प्रविष्टियों के आधार पर कार्यकारी अभिकर्त्ता (प्रखंड कृषि पदाधिकारी) को भुगतान कर दिया गया था। हालाँकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2022) में स्थल पर केवल 1,739.66 घनफुट कार्य निष्पादित होना पाया गया था। इस प्रकार, 619.34 घनफुट (17.54 घन मीटर) पी.सी.सी. कार्य मापी पुस्त में अधिक दिखाया गया था जिससे कार्यकारी एजेंसी को ₹ 0.77 लाख[30] का अनियमित भुगतान किया गया था। प्रखंड विकास पदाधिकारी, अथमलगोला ने इस संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

➢ पं0स0, बाढ़ में मिट्टी भरने और ईंट सोलिंग से संबंधित कार्य पंचम राज्य वित्त आयोग (योजना संख्या 20/2018–19) के तहत् निष्पादित किया गया था, मापी पुस्त यह दर्शाता है कि 4,000 वर्ग फुट का काम निष्पादित किया गया था और तद्नुसार कार्यकारी एजेंसी को ₹ 5.36 लाख का भुगतान किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन में, हाँलाकि, साइट पर केवल 2,710 वर्ग फुट का काम पूरा पाया गया था। इस प्रकार,

---

[29] *वार्ड क्रमांक 9 के अंतर्गत विभिन्न गलियों में अशोक ठाकुर के घर से महेश तांती, गणेश ठाकुर, दशरथ राम तक ईंट सोलिंग और पी.सी.सी. सड़क का निर्माण।*

[30] *17.54 घन मीटर @ ₹ 4,386.85 (पी.सी.सी. सड़क प्रति घन मीटर की समग्र दर) = ₹ 76,945*

1,290 वर्ग फुट (119.84 वर्ग मीटर) कार्यों के लिए ₹ 0.33 लाख[31] का अनियमित भुगतान कार्यकारी अभिकर्ता (ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता) को किया गया। आगे योजना क्रमांक 6/2020–21 में 15वीं वित्त आयोग (ह्यूम पाइप बिछाना) के तहत् निष्पादित 894 फीट लम्बाई का ह्यूम पाइप मापी पुस्त में प्रविष्ट किया गया था, जबकि संयुक्त भौतिक सत्यापन में मात्र 597 फीट का ह्यूम पाइप कार्य स्थल पर निष्पादित पाया गया। इस प्रकार कार्यकारी एजेंसी (पंचायत सचिव) को 297 फीट ह्यूम पाइप बिछाने के लिए ₹ 0.88 लाख[32] का अनियमित भुगतान किया गया।

इस प्रकार, संबंधित कार्यकारी एजेंटों द्वारा कार्यस्थल पर निष्पादित वास्तविक कार्य का मापन नहीं किया गया था और मापी पुस्तिका में अधिक प्रविष्टियां की गई थीं। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा के मामले में) कार्य के क्रियान्वयन की निगरानी करने में विफल रहे तथा कनीय अभियंता, जो मापीपुस्त में प्रविष्टियां करने के लिये उत्तरदायी थे, कार्य की अधिकता/फर्जी मापी के लिये उत्तरदायी थे, जिसके कारण कार्यकारी अभिकर्त्ताओं को ₹ 10.03 लाख का अनियमित एवं कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (जून 2022) किया गया तथा 13 अक्टूबर 2022 को स्मार पत्र जारी किया गया; जवाब प्रतीक्षित है।

2.5 पुरानी दरों पर किराये की वसूली के कारण राजस्व से वंचित

जिला परिषद्ों द्वारा आवासीय अथवा सरकारी उपयोग के लिए निरीक्षण बंगलों का उपयोग करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों से निरीक्षण बंगलों का किराया वसूलने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 73.49 लाख के राजस्व की हानि हुई।

पंचायती राज विभाग (पं.रा.वि), बिहार सरकार (बि.स.) ने पंचायत के सभी जिलाधिकारियों (डी. एम.) और उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (डी.डी.सी.–कम–सी.ई.ओ.) को एक निर्देश जारी (जुलाई 2013) किया था जिसमें जिला परिषद्ों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उन्हें उनके अनिवार्य कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने हेतु जिला परिषद्ों (जि.प.), के निरीक्षण भवनों के किराए का बाजार दरों पर आकलन, निर्धारण और वसूली करने के लिए कहा गया था। पं.रा.वि. ने आगे निर्देश दिया कि प्रचलित बाजार दरों के अनुसार प्रत्येक निरीक्षण भवन के किराए की मांग का आकलन करने के बाद आवासीय या आधिकारिक उपयोग के लिए निरीक्षण भवन पर काबिज रहने वाले अधिकारियों को बकाया किराया के भुगतान के लिए मांग प्रस्तुत की जानी थी जिसकी एक प्रति उनके नियंत्री विभागों को दी जानी थी। आवासी अधिकारियों एवं उनके नियंत्री विभागों द्वारा बाजार दर के अनुसार किराये का भुगतान करने की मांग को स्वीकार न करने की स्थिति में ऐसी मांग प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर जिला परिषद्ों को ऐसे कब्जाधारियों से निरीक्षण भवन को खाली कराने की कार्रवाई करनी थी।

तीन जिला परिषद्ो[33], के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इन जिला पंचायतों के निरीक्षण बंगलों में बिहार सरकार के पदाधिकारी उनके आवास कार्यालय के रूप में काबिज थे। तथापि, दो जिला परिषद् (बेगूसराय एवं सुपौल) ने बाजार दरों के अनुसार किराए में संशोधन नहीं किया था। जिला परिषद्, सुपौल एवं जिला परिषद्, बेगूसराय ने क्रमशः

---

[31] *119.84 वर्ग मीटर @ ₹ 277.50 (प्रति वर्ग मीटर ईंट सोलिंग की समग्र दर) = ₹ 33,256*

[32] *₹ 297.24 (प्रति रनिंग फीट पाइप बिछाने के काम की संयुक्त दर) × 297 रनिंग फीट = ₹ 88,280*

[33] *बांका, बेगूसराय और सुपौल*

वर्ष 1992 एवं नवम्बर 2000 में किराया निर्धारित किया था तथा ये दरें मई 2022 तक प्रभावी रहीं। जि0प0 बाजार दर के अनुसार नवंबर 2019 में इस संबंध में पं.रा.वि. द्वारा जारी निर्देश के छः वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद किराया पुनरीक्षित किया था। इसके अलावा, किराएदार समय से किराए का भुगतान नहीं कर रहे थे और ₹ 73.49 लाख किराया बकाया था (मई 2022 तक)। बकाया किराए का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है:

तालिका 2.2 निरीक्षण भवन पर किराए की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जिला परिषद् का नाम	किरायेदार का नाम	किराये की अवधि	जिला परिषद् द्वारा निर्धारित किराया (प्रति माह)	किराया जो वसूल किया जाना था	किराया वसूल हुआ	बकाया किराया
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 (6-7)**
1.	सुपौल	पुलिस अधीक्षक (एस.पी.), सुपौल	अप्रैल 1992 से मई 2022 (362 महीने)	2,500 (जिला परिषद् द्वारा निर्धारित दर)	9,05,000	8,97,500	7,500
2.	बांका	पुलिस अधीक्षक (एस.पी.), बांका	जनवरी 2020 से मई 2022 (29 महीने)	2,32,600 (एस.डी.ओ. द्वारा निर्धारित दर)	67,45,400	00	67,45,400
3.	बेगुसराय	अनुमण्डल पदाधिकारी, तेघरा	मई 1992 से नवंबर 2000 (103 महीने)	2,000 (जिला परिषद् द्वारा निर्धारित दर)	2,06,000	10,000	1,96,000
			दिसंबर 2000 से मई 2022 (258 महीने)	2,200 (एस.डी.ओ. द्वारा निर्धारित दर)	5,67,600	1,67,815	3,99,785
कुल					**84,24,000**	**10,75,315**	**73,48,685**

*(**स्रोतः** जिला परिषदों का किराया पंजी और रोकड़ बही)*

- जिला परिषद्, सुपौल, जिला परिषद्, सहरसा से अलग होने के बाद मार्च 1991 में अस्तित्व में आया। अप्रैल 1992 से मई 2022 तक जिला परिषद्, सुपौल (जिला मुख्यालय में) के तहत् निरीक्षण बंगलो, एस.पी. द्वारा आवास के रूप में उपयोग के लिए कब्जा कर लिया गया था। निरीक्षण बंगलो का किराया (1992 से पहले) प्रति माह ₹ 2,500 निर्धारित किया गया था और जि0प0, सुपौल ने इसे संशोधित नहीं किया था (मई 2022 तक)। जिला परिषद् ने पं.रा.वि. से निर्देश प्राप्त होने के चार वर्ष बाद बाजार दरों के अनुसार निरीक्षण बंगलो का किराया तय करने के लिए एस.डी.ओ., सुपौल को एक पत्र लिखा (अगस्त 2017)। हाँलाकि, एस.डी.ओ. ने बाजार दर (मई 2022 तक) के अनुसार किराया तय नहीं किया था। नतीजतन, जिला परिषद् निम्नलिखित कार्यों में विफल रही– (i) बाजार दरों के अनुसार निरीक्षण बंगलो के किराए की वसूली (ii) किराए की मांग की एक प्रति, संशोधित दर पर, कब्जा करने वाले विभाग को जमा करना और (iii) बाजार दरों पर किराए की पहली वसूली करने के लिए पं.रा.वि. को सूचित करना। वर्ष 2013 में बाजार दरों के अनुसार किराए की नई दरें तय करने का निर्देश जारी किया गया था। तद्नुसार, नया किराया वर्ष 2013 से प्रभावी होना चाहिए। बाजार दरों पर किराए की वसूली न होना एक भारी नुकसान को दर्शाता है।

- जिला परिषद्, बांका, जिला परिषद्, भागलपुर से अलग होकर वर्ष 2001 में अस्तित्व में आया। तब से, जिला परिषद्, बांका का निरीक्षण बंगलो (जिला मुख्यालय में), एस.पी. द्वारा अपने निवास के रूप में उपयोग किया जा रहा था और निरीक्षण बंगलो का किराया जो कि जिला परिषद्, भागलपुर द्वारा निर्धारित किया गया था वर्ष 2001 से दिसंबर 2019 तक (₹ 2,000 प्रति माह) जारी रहा। बाद में, जिला परिषद् के अनुरोध (जून 2017) पर,

एस.डी.ओ., बांका ने जनवरी 2020 से प्रभावी, निरीक्षण बंगलो का किराया ₹ 2.33 लाख प्रति माह निर्धारित (नवंबर 2019) किया। तद्नुसार, जिला परिषद् ने एस.पी. को जनवरी 2020 से मई 2022 तक की अवधि के लिए ₹ 67.45 लाख की मांग प्रस्तुत की। हाँलाकि, कब्जाधारी ने किराया जमा नहीं किया। इसके अलावा, जिला परिषद् ने कब्जाधारियों के नियंत्रक विभाग को किराए की अपनी मांग नहीं रखी और मई 2022 तक किराया वसूल नहीं किया गया।

- जिला परिषद्, बेगूसराय में तेघरा स्थित निरीक्षण बंगलो पर मई 1992 से एस.डी.ओ., तेघरा का कब्जा था और इसका उपयोग आवास/कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। जिला परिषद् ने आवास–सह–कार्यालय (निरीक्षण बंगलो का उपयोग दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है) के लिए निरीक्षण बंगलो का किराया ₹ 2,000 प्रति माह निर्धारित किया था (अप्रैल 1992)। जिला परिषद् के उपविकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने एस.डी.ओ., तेघरा को निरीक्षण बंगलो का किराया तय करने का निर्देश दिया (जुलाई 1998) और एस.डी.ओ. ने किराया ₹ 2,200 प्रति माह निर्धारित किया (नवंबर 2000)। हाँलाकि, एस.डी.ओ. ने बकाया किराया ₹ 5.96 लाख[34] (मई 2022 तक) जमा नहीं कराया। चूंकि निरीक्षण बंगलो के संयुक्त उपयोग (कार्यालय और निवास) के लिए किराए की दर तय की गई थी, निरीक्षण बंगलो के कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए किराए और निवास के रूप में उपयोग के लिए किराए की गणना अलग से नहीं की जा सकती थी।

इस प्रकार, जिला परिषद्, बेगूसराय प्रचलित बाजार दरों के अनुसार निरीक्षण बंगलो के किराए को संशोधित करने में विफल रही और इस प्रकार, अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी आय बढ़ाने का अवसर खो दिया। जिला परिषद् के उपविकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया (जून 2022) कि बकाया किराया जमा करने के लिए एस.डी.ओ., तेघड़ा को पत्र लिखा गया था, लेकिन एस.डी.ओ. द्वारा किराया जमा नहीं किया गया था (04 जून 2022 तक)। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर जिला परिषद् ने इस मामले की सूचना पंचायत राज विभाग, बिहार सरकार को दी (जुलाई 2021) परन्तु किराया वसूल नहीं हुआ। आगे, जिला परिषद् ने कब्जाधारियों द्वारा निरीक्षण बंगलो को खाली कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

इस प्रकार, पं.रा.वि. द्वारा निर्देश जारी होने के आठ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिला परिषदों द्वारा निरीक्षण बंगलो के किराए को बाजार दर पर संशोधित करने और वसूल करने में विफल रहने के साथ–साथ कब्जाधारियों के नियंत्री विभागों के साथ इस मुद्दे को उठाने में विफलता के कारण ₹ 73.49 लाख[35] के राजस्व से वंचित रहे और अपने स्वयं के स्रोतों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने का अवसर भी खो दिया।

2.6 सरकारी धन का दुर्विनियोजन

जिला परिषद्, सुपौल द्वारा अग्रिमों के भुगतान एवं समायोजन के संबंध में वित्तीय नियमों का पालन करने में विफलता तथा विकास कार्यों के निष्पादन पर निगरानी की कमी के परिणामस्वरूप अधूरे कार्यों पर ₹ 82.44 लाख के निष्फल व्यय के अतिरिक्त ₹ 71.95 लाख के शासकीय धन का दुरूपयोग हुआ।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 88(1) (ए) में प्रावधान है कि जिला परिषद् (जि.प.) के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सी.ई.ओ.) जिला परिषद् की नीतियों और निर्देशों को लागू करेंगे और सभी कार्य और विकास योजनाएं के त्वरित निष्पादन

[34] *₹ 1,96,000 + ₹ 3,99,785 = ₹ 5,95,785*

[35] *₹ 7,500 + ₹ 67,45,400 + ₹ 5,95,785 = ₹ 73,48,685*

के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली, 1964 के नियम 90(बी) एवं (एफ) में प्रावधान है कि इस उद्देश्य के लिए भुगतान किए गए पिछले अग्रिमों तथा अव्ययित अग्रिमों के समायोजन के बिना द्वितीय एवं बाद के अग्रिमों का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि कोई हो, तो उसे तुरंत वापस किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पूर्वोक्त नियमावली के नियम 113(बी) में परिकल्पना की गई है कि जारी योजनाओं को अपूर्ण स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा।

तेरहवीं वित्त आयोग (13वीं वि.आ.), चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (च.रा.वि.आ.), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) एवं स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियों के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन से संबंधित जिला परिषद्, सुपौल के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2022) से पता चला कि जिला परिषद् के जिला अभियंता (जि0अ0) ने जुलाई 2009 और फरवरी 2016 के बीच जिला परिषद् के पाँच सहायक अभियंताओं (वर्तमान में सेवानिवृत्त या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित) को ₹ 1.93 करोड़ का एक से 40 विकास कार्यों के निष्पादन के लिए (यथा पी.सी.सी. सड़कों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक हॉल, शेडों, ईंट सोलिंग सड़कों आदि का निर्माण) एक से पाँच किस्तों में अग्रिम भुगतान किया था ***{परिशिष्ट 2.2 (अ, ब और स)}***। जिला परिषद् में उप विकास आयुक्त (जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी) ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राशि को जिला परिषद् के जि0अ0 को हस्तांतरित कर दिया और जि0अ0 ने बाद में इन कार्यों के निष्पादन के लिए संबंधित सहायक अभियंताओं को अग्रिम भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने विकास कार्यों के निष्पादन के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों की स्वीकृति और समायोजन में निम्नलिखित अनियमितताएं पायीं:–

- **अग्रिम प्राप्त करने के बावजूद क0अ0 द्वारा निष्पादित नहीं किए गए कार्य:** जिला परिषद् के स.अ. को 13वीं वि.आ., चतुर्थ रा.वि.आ., बी.आर.जी.एफ. आदि के तहत् 17 कार्यों के लिए कार्यकारी एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें ₹ 35.92 लाख की राशि के अग्रिम ***{परिशिष्ट 2.2 (अ)}*** जुलाई 2009 से फरवरी 2016 के दौरान एक से दो किस्तों में भुगतान किये गये। हाँलाकि, सहायक अभियंताओं ने इन कार्यों को निष्पादित नहीं किया था लेकिन 6 से 12 वर्षों की अवधि के लिए अग्रिमों को अपने पास रखा था। इसके अतिरिक्त, सहायक अभियंताओं को जिला परिषद् से स्थानांतरित किये जाने के बावजूद उन्होंने न तो अग्रिम वापस किया और न ही उक्त कार्यों को निष्पादित किया (मई 2022 तक)। इस प्रकार ₹ 35.92 लाख बिना उपयोग के छः से 12 वर्षों की अवधि के लिए जिला परिषद् लेखाओं से बाहर रहे। यदि पूर्व के अग्रिमों का समायोजन सुनिश्चित करने और कार्यों के निष्पादन की प्रगति की निगरानी करने के बाद ही जिला परिषद्, ने इस प्रयोजन के लिए दूसरा अग्रिम भुगतान किया होता तो सरकारी धन के दुरुपयोग से बचा जा सकता था। ये कार्य अभी भी अधूरे हैं और अन्य योजनाओं में शामिल नहीं थे।

- **चार पूर्ण कार्यों में स.अ. के पास पड़ी अतिरिक्त राशि:** 13वीं वित आयोग और बी. आर.जी.एफ. योजना के तहत् जिला परिषद्, के जि.अ. ने चार कार्यों (पी.सी.सी. सड़कों का निर्माण, कुल अनुमानित लागत ₹ 44.49 लाख) के तहत् स0अ0 को ₹ 40.94 लाख का अग्रिम भुगतान किया। तथापि, मापी पुस्तिका (एम.बी.) के अनुसार उक्त कार्य ₹ 38.52 लाख व्यय कर पूर्ण कर लिए गए थे। इस प्रकार, सहायक अभियंताओं ***{परिशिष्ट 2.2 (ब)}*** द्वारा किए गए कार्य के वास्तविक मूल्य से अधिक राशि ₹ 2.42 लाख का भुगतान किया गया था। सहायक अभियंताओं ने (मई 2022 तक) राशि वापस नहीं की थी और राशि उनके पास सात से 10 वर्षों की अवधि से पड़ी हुई थी।

- **अधूरे कार्यों पर निष्फल व्ययः** जिला परिषद् ने 13वीं वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग तथा बी.आर.जी.एफ. अनुदानों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से ₹1.44 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 19 कार्य किए। इन कार्यों के निष्पादन के लिए जिला परिषद्, के जिला अभियंता ने जुलाई 2009 से फरवरी 2016 के बीच एक से तीन किस्तों में सहायक अभियंताओं को ₹1.16 करोड़ की राशि का अग्रिम दिया। तथापि, सहायक अभियंताओं ने इन कार्यों को पूरा नहीं किया और उन पर ₹ 82.44 लाख का व्यय करने के बाद उन्हें अपूर्ण अवस्था में छोड़ दिया ***{परिशिष्ट 2.2 (स)}***। ये कार्य अभी अधूरे हैं। इस प्रकार, किए गए कार्यों के मूल्य की तुलना में ₹ 33.61 लाख की अधिक राशि का भुगतान किया गया था और स.अ. ने राशि को जिला परिषद्, को वापस नहीं किया था (मई 2022 तक)। इसके अलावा, ये कार्य छः से 12 वर्षों की अवधि के लिए अधूरे रहे और इन अधूरे कार्यों पर किया गया व्यय निष्फल हो गया, क्योंकि कार्यों के पूरे दायरे को कवर नहीं किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा तैयार करने का अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने जवाब दिया (अप्रैल 2022) कि सहायक अभियंताओं के पास पड़े अग्रिमों के समायोजन/वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी।

जिला परिषद् के जिला अभियंता निम्नलिखित में विफल रहे (i) पिछले अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित किए बिना स.अ. को दूसरे और बाद के अग्रिम स्वीकृत करके अग्रिमों के भुगतान और समायोजन के संबंध में वित्तीय नियमों का पालन करना और (ii) विकास कार्यों के निष्पादन की प्रगति की निगरानी करना। जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होने के कारण योजना निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार थे लेकिन योजना निधियों के उपयोग की निगरानी करने में विफल रहे।

परिणामस्वरूप, अग्रिमों की स्वीकृति की तिथि से स.अ. ने योजना निधि से ₹ 71.95 लाख[36] को छः से 12 वर्षों (मई 2022 तक) से अधिक समय तक अपने पास रखा था। उपरोक्त ₹ 71.95 लाख (पाँच स0अ0 के बीच) में से (₹ 58.38 लाख दो स0अ0 के पास, ₹ 34.95 लाख एक स0अ0 के पास और ₹23.43 लाख दूसरे स0अ0 के पास पड़ा था)।

इस प्रकार, जिला अभियंता एवं जिला परिषद् के उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की विफलता के कारण स.अ. ने योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उपयोग किये बिना लंबी अवधि के लिए सरकारी धन को अपने पास रखा और उनसे ₹ 71.95 लाख तथा अर्जित बैंक ब्याज वसूली योग्य है। इसके अतिरिक्त, अपूर्ण कार्यों पर ₹ 82.44 लाख का निष्फल व्यय किया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2022) तथा 13 अक्टूबर 2022 को स्मार–पत्र जारी किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है।

[36] ₹ 35.92 लाख + ₹ 2.42 लाख + ₹ 33.61 लाख = ₹ 71.95 लाख